तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए
15/1/24	**एकल–पीठ** **श्री विष्णु कुमार गोयल, सदस्य** **उपस्थित :** श्री ईदरिश मोहम्मद, अभिभाषक प्रार्थी । श्री अजीत सिंह भादू, उप राजकीय अभिभाषक **आदेश** हस्तगत् पुनरीक्षण याचिका राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा–84 सपठित धारा 9 न्यायालय उपखंड अधिकारी श्रीविजयनगर द्वारा पारित आदेश दिनांक 16–2–2022 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। पुनरीक्षण याचिका अनुसार प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि प्रार्थीगण द्वारा एक प्रार्थना पत्र वास्ते किये जाने आवंटन न्यायालय उपखंड अधिकारी श्रीविजयनगर के समक्ष निगरानी ज्ञापन में अंकित विवादित आराजी बाबत् प्रस्तुत किया। जिसे खारिज करने पर प्रार्थीगण द्वारा प्रथम अपील राजस्व अपील प्राधिकारी श्रीगंगानगर के समक्ष प्रस्तुत की जिसे अपीलीय न्यायालय ने पुनः सुनवाई हेतु उपखंड अधिकारी को प्रतिप्रेषित कर दिया। प्रतिप्रेषित आदेश की पालना में उपखंड अधिकारी श्रीविजयनगर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अपने आदेश दिनांक 16–2–2022 द्वारा खारिज कर दी। जिससे व्यथित होकर यह पुनरीक्षण याचिका मंडल में पेश की गई है। विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने पुनरीक्षण याचिका में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुये बहस में कहा कि विवादित आराजी का आवंटन प्रार्थीगण के पिता को नॉलक्लेमेंट में किया जाकर सनद सं. 247 दिनांक 26–8–57 जारी की गई। उपरोंक्त आवंटन की पालना में कब्जा उनके पिता को संभला दिया तबसे प्रार्थीगण विवादित आराजी पर काबिज काश्त है। उनके पिता की मृत्यु होने के बाद विवादित आराजी राजस्व विभाग द्वारा सिवायचक दर्ज कर राष्ट्रपति भारत सरकार के नाम दर्ज कर दी। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत निलामी रसीदों से स्पष्ट है कि विवादित आराजी प्रतिवर्ष प्रार्थीगण द्वारा छुडवाई जाती रही है। उपखंड अधिकारी ने प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र बिना स्पष्ट एवं ठोस कारण अंकित किये अपीलीय न्यायालय के प्रतिप्रेषित पालना आदेश के अभाव में खारिज किया है। अतः पुनरीक्षण याचिका स्वीकार की जावे।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए
	विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने उपरोक्त तथ्यों का विरोध करते हुये कहा कि विवादित आराजी सिवायचक दर्ज रिकोर्ड है। प्रार्थीगण का आवंटन प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने के आदेश में तथ्य अथवा विधि सम्बंधी ऐसी कोई त्रुटि नहीं है जिसके आधार पर पुनरीक्षण के माध्यम से उसमें हस्तक्षेप किया जा सके। अतः पुनरीक्षण याचिका खारिज की जावे। उभय पक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि प्रार्थीगण द्वारा विवादित आराजी के आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय उपखंड अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने पर उनके द्वारा 26–12–2017 के द्वारा खारिज किये जाने पर उसके विरूद्ध प्रस्तुत अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी ने उपखंड अधिकारी को पुनः आदेश हेतु प्रतिप्रेषित की। उपखंड अधिकारी ने प्रतिप्रेषित आदेशों की पालना में प्रार्थीगण का आवंटन प्रार्थना पत्र इस आधार पर खारिज किया है कि विवादित आराजी सिवायचक होकर राष्ट्रपति भारत सरकार के नाम दर्ज है तथा प्रार्थीगण को विभिन्न न्यायालयों द्वारा आवंटन का पात्र नहीं माना है। पुनः उन्हीं तथ्यों पर प्रार्थीगण द्वारा आवंटन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है तथा पुर्नवास नियमों के अंतर्गत भूमि की खातेदार देने एवं आवंटन करने का निवेदन किया गया जिसे उपखंड अधिकारी ने न्यायोचित नहीं माना। इस एकल पीठ के विनम्र मत में निगरानी का क्षेत्र अत्यंत सीमित है तथा उपखंड अधिकारी द्वारा प्रार्थीगण का आवंटन प्रार्थना पत्र खारिज करने में विधि या तथ्य सम्बंधी ऐसी कोई त्रुटि अधिवक्ता प्रार्थी इस एकल पीठ के समक्ष उजागर नहीं कर सके जिसके आधार पर हस्तगत् पुनरीक्षण याचिका के माध्यम से उसमें हस्तक्षेप अपेक्षित हो। अतः हस्तगत पुनरीक्षण याचिका खारिज योग्य है। परिणामतः उपर्युक्त विवेचनानुसार हस्तगत पुनरीक्षण याचिका एतद्द्वारा अस्वीकार कर खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जाकर पत्रावली बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(विष्णु कुमार गोयल)** **सदस्य**	